प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 42 /2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 अधिसूचित किया गया।

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024** अधिसूचित किया।

2. उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियमन, 2013 के तहत राज्यवार किया जाता है। ये उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन सहित विनियमों में परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार प्राधिकरण की सहायता करते हैं।

3. उपभोक्ता संगठन दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित उपभोक्ता केंद्रित जानकारी के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक भादूविप्रा द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी के प्रसार में भादूविप्रा की विस्तारित शाखा के रूप में भी कार्य करते हैं।

4. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपस्थिति रखने वाले उपभोक्ता संगठनों के अनुभव तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में उनकी समझ का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, प्राधिकरण ने ऐसे उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण शुरू करके विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की, जो कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकते हैं। तदनुसार, हितधारकों की टिप्पणियों हेतु भादूविप्रा द्वारा दिनांक 14.09.2023 को मसौदा संशोधन विनियम जारी किया गया।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किए बिना "एकाधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों" में उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के प्रारूप और पात्रता शर्तों को कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया गया है और अधिक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है।

6. उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (सीए और आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन: 011-20907756 या ईमेल आईडी: adviserit@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव (भादूविप्रा)